संख्या-252/2016/1557/22-2-2016-17(318)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 नवम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी केहरी पुत्र श्री सोरन निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34859/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि बनदी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में क्रिमिनल रिट याचिका सं0-148/2015 श्याम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में योजित की गयी है। उक्त याचिका को क्रिमिनल रिट याचिका सं0-146/15 रविन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 द्वारा यह आदेश दिये गये है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन माह के भीतर बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार किया जाय तथा यदि तीन माह के भीतर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा बन्दी की रिहाई पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो याची/बन्दी मा0 न्यायालय में जमानत के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है। मा0 न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश के साथ याचिका निस्तारित कर दी गयी है। उक्त याचिका सं0-146/2015 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 का संगत अंश निम्नवत उद्धृत है:-

..... In these circumstances, we direct the Competent Authority to decide the aforesaid representation within three months from today. In case, the representation/petition is not decided within the said period, it would be open to the petitioner to move an application for grant of bail in the instant petition.

The writ petition is disposed of accordingly. .....

x x x x x x x x

W.P. (Crl.) No. 148/2015

The writ petition is disposed of in identical terms as stated above in W.P.(Crl.) No.(s). 146/2015.

आपके उक्त पत्र दिनांक 26.09.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी केहरी पुत्र श्री सोरन, निवासी-मिर्जापुर, थाना-अवागढ, जनपद-एटा का रहने वाला है। बन्दी का परिवार से खेती के बटवारे को लेकर आपसी मन-मुटाव था राज्य सरकार द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कुआं बनवाने की स्वीकृति पर दोनों पक्ष अपने घर के पास बन्वाना चाहते थे। इसी विवाद के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24.06.1979 को प्रात: लगभग 11:30 बजे बन्दूक एवं रायफल से गोली मारकर गोपाल की हत्या कर दी एवं मेघ सिंह नामक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-618/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एटा द्वारा दिनांक 19-01-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2015 तक 14 वर्ष 00 माह 00 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 06 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी के परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु अच्छी नहीं है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक एवं रायफल से गोली मारकर गोपाल नामक व्यक्ति की निर्दयता पूर्वक हत्या करने तथा मेघ सिंह नामक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 73 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा अतिरिक्त पांच बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कहरी पुत्र श्री सोरन, निवासी जनपद-एटा को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों तथा मा0 उच्चतम नयायालय के आदेश दिनांक 29.02.2016 के अनुपालन में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी केहरी (बन्दी संख्या-14414) पुत्र श्री सोरन निवासी जनपद-एटा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-252/2016/1557(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-252/2016/1557/22-2-2016-17(318)/2016

दिनांक 30 नवम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी केहरी पुत्र श्री सोरन, निवासी-मिर्जापुर, थाना-अवागढ, जनपद-एटा का रहने वाला है। बन्दी का परिवार से खेती के बटवारे को लेकर आपसी मन-मुटाव था राज्य सरकार द्वारा कुआं बनवाने की स्वीकृति पर दोनों पक्ष अपने घर के पास बन्वाना चाहते थे। इसी विवाद के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24.06.1979 को प्रात: लगभग 11:30 बजे बन्दूक एवं रायफल से गोली मारकर गोपाल की हत्या कर दी एवं मेघ सिंह नामक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-618/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एटा द्वारा दिनांक 19-01-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2015 तक 14 वर्ष 00 माह 00 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 06 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी के परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु अच्छी नहीं है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक एवं रायफल से गोली मारकर गोपाल नामक व्यक्ति की निर्दयता पूर्वक हत्या करने तथा मेघ सिंह नामक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 73 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा अतिरिक्त पांच बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कहरी पुत्र श्री सोरन, निवासी जनपद-एटा को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in